माननीय मुख्य न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल और न्यायमूर्ति जसबीर सिंह के समक्ष

यू.टी. चंडीगढ़-अपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स कृष्ण चंद गणेश दास विनय कुमार एंड कंपनी, उत्तरदाता

2007 का एल.पी.ए. नं. 205

1991 का सी.डब्ल्यू.पी. 17038

5 मई, 2010

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - कंपनी के पक्ष में पट्टे को रद्द करना - सक्षम प्राधिकारियों द्वारा खारिज किए गए रद्दीकरण आदेश के खिलाफ दायर अपील और संशोधन - एकल न्यायाधीश बिना कोई कारण बताए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की फिर से जांच का आदेश देता है - संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका की अनुमति देते समय आवश्यक याचिकाओं और मुद्दों की सही समझ नहीं होना - अपील की अनुमति दी जाती है, मामले को कानून के अनुसार निपटाने के निर्देश के साथ एकल न्यायाधीश को भेजा गया।

माना यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कि 14 जुलाई, 1987 का आदेश, प्रतिवादी के पक्ष में पट्टे और 30 जनवरी, 1990 के अपीलीय आदेश को रद्द करता है। 14 जुलाई, 1987 के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील और संशोधन को खारिज करता है। एकल न्यायाधीश ने कोई कारण नहीं बताया कि 14 जुलाई, 1987 के आदेश और 30 जनवरी, 1990 के अपीलीय आदेश में निहित तर्क अपर्याप्त या त्रुटिपूर्ण क्यों थे, जिसके लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उस आदेश को रद्द करने की आवश्यकता थी। उपरोक्त तर्क इस तथ्य से स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने जो कुछ भी कहा है वह यह है कि उन्होंने रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। यह दलीलों और मुद्दों की सही सराहना नहीं है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका की अनुमति देते समय किया जाना आवश्यक है।

(पैरा 3)

अपीलकर्ता की ओर से के. के. गुप्ता, वकील:

प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और वकील कुणाल मुलवानी उपस्थित थे।

निर्णय

मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल (मौखिक)

1. यह अपील 19 जुलाई 2006 के विद्वान एकल न्यायाधीश फैसले को चुनौती देती है जिसने प्रतिवादी द्वारा दायर की गयी रिट याचिका की अनुमति दी और 14 जुलाई, 1987 और 30 जनवरी 1990 के आदेशों को रद्द कर दिया गया। (रिट याचिका के साथ क्रमशः अनुलग्नक पी-1 4 और पी-1 6)। प्रतिवादी कंपनी को चार सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कहा, "सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वह नगर निगम, चंडीगढ़ और अन्य बनाम मेसर्स शांति कुंज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (1) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले पर नए सिरे से फैसला करे। एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता का रुख यह था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की फिर से जांच किए जाने की आवश्यकता है। यहां अपीलकर्ता का रुख यह है कि इस मुद्दे को प्राधिकरण द्वारा फिर से जांचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, 14 जुलाई के आदेशों में लिया गया रुख। 1987 और 30 जनवरी, 1990 को दोहराया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने किया है। निम्नलिखित तर्कों के आधार पर, दिनांक 14 जुलाई, 1987 और 30 जनवरी, 1990 के आदेशों को निरस्त किया गया :

"प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील द्वारा दी गई दलील को चुनौती दी है, लेकिन रिकॉर्ड देखने के बाद, मुझे लगता है कि मामले को सक्षम प्राधिकारी द्वारा फिर से परीक्षण की आवश्यकता है और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति बिना किसी आधार के है।

2. दिनांक 14 जुलाई, 1987 का आदेश, प्रतिवादी के पक्ष में पट्टे को रद्द करता है और 30 जनवरी, 1990 का अपीलीय आदेश, 14 जुलाई, 1987 के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील और संशोधन को खारिज करता है।
3. हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कोई कारण नहीं बताया कि 14 जुलाई के आदेश में निहित तर्क क्यों है। 1987 और दिनांक 30 जनवरी, 1990 का अपीलीय आदेश त्रुटिपूर्ण या त्रुटिपूर्ण था जिसके लिए एकल न्यायाधीश द्वारा उस आदेश को निरस्त करने की आवश्यकता थी। हमारा विचार है कि उपरोक्त तर्क इस तथ्य से स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने जो कुछ भी कहा है, वह यह है कि उन्होंने रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। हमारे विचार में। यह दलीलों और मुद्दों की सराहना नहीं है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका की अनुमति देते समय किया जाना आवश्यक है।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कार्य संविदा एवं पट्टे, कोटा बनाम शुक्ला और बंधु, एमएएनयू/एससी/0258/2010 के मामले में उनका लॉर्डशिप है। न्यायालय द्वारा गैर-तर्कपूर्ण आदेशों को पारित करने का अनुमोदन नहीं किया गया है, जबकि निम्नानुसार टिप्पणी की गई है:

"21. हम वर्तमान याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए कानून के तर्कों की शुद्धता या अन्यथा पर टिप्पणी करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से उच्च न्यायालय से अपेक्षा की गई थी कि वह विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के लिए किसी प्रकार के कारणों को दर्ज करेगा। एक वादी को अपने दावे/प्रार्थना की अस्वीकृति के कारणों को जानने की वैध अपेक्षा होती है। यह अकेला है कि एक पार्टी उचित आधार पर आदेश को चुनौती देने की स्थिति में होगी। इसके अलावा, यह उच्च या अपीलीय अदालत के लाभ के लिए होगा। जैसा कि तर्क चीजों को कारणों के प्रकाश में छुपाते और अस्पष्ट करते हैं, तर्कपूर्ण निर्णय जहां मामले के कानून और तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर चर्चा की जाती है, अदालतों द्वारा निष्कर्ष या न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए स्पष्टता और आधार प्रदान करता है। तर्क ही कानून का जीवन है। जब एक कानून का कारण एक बार समाप्त हो जाता है, तो कानून आम तौर पर समाप्त हो जाता

है (व्हार्टन का आइव लेक्सिकन)। किसी भी कानून के शासन में तर्क का यही महत्व है। कारण बताने से न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के साथ-साथ अनिश्चितता से बचा जा सकता है। वास्तव में, यह मिसाल के कानून के पालन में मदद करता है। इसके विपरीत कारणों की अनुपस्थिति अनिवार्य रूप से अनिश्चितता, असंतोष का एक तत्व पेश करती है और उच्च / अपीलीय अदालतों के समक्ष उठाए गए कानून के सवालों को पूरी तरह से अलग आयाम देती है.। हमारे विचार में, अदालत को किसी पक्ष के दावे/अनुरोध को खारिज करने के लिए अपने स्वयं के आधार और कारण प्रदान करने चाहिए, चाहे वह बहुत ही सीमा पर हो या नियमित सुनवाई के बाद, चाहे वे कितने भी सटीक क्यों न हों।

22. हम इस सिद्धांत को दोहराएंगे कि जब कारणों की घोषणा की जाती है और उन्हें तौला जा सकता है, तो जनता को आश्वासन मिल सकता है कि प्रक्रिया या सुधार हो रहा है और काम कर रहा है। यह कानून की आवश्यकता है कि निर्णयों की सुधार प्रक्रिया न केवल लागू की जानी चाहिए, बल्कि . ठीक से लागू भी की जानी चाहिए। एक आदेश के कारण जनता के विश्वास को सुनिश्चित और बढ़ाएंगे और हमारी न्याय वितरण प्रणाली के तहत न्याय के उपभोक्ता को उचित संतुष्टि प्रदान करेंगे। कानून में यह कहना बहुत सही नहीं हो सकता है कि न्यायालयों पर कारणों को दर्ज करने के लिए एक योग्य कर्तव्य लगाया गया है। हमारा प्रक्रियात्मक कानून और स्थापित प्रथा, वास्तव में, कारणों को दर्ज करने के लिए न्यायालयों पर अयोग्य दायित्व डालती है। आयकर अधिनियम के तहत या संविधान के तहत शायद ही कोई वैधानिक प्रावधान है जिसमें निर्णयों में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अब एकीकृत नहीं है और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से तय किया गया है कि, अदालतों और न्यायाधिकरणों को तर्कसंगत निर्णय / आदेश पारित करने की आवश्यकता है। वास्तव में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XX नियम I के साथ पढ़े गए आदेश XIV नियम 2 के लिए आवश्यक है कि न्यायालय को प्रत्येक मुद्दे पर निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना चाहिए और ऐसे निष्कर्ष जिन्हें स्पष्ट रूप से तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए, निर्णय का हिस्सा होंगे, जो बदले में न्यायालय के डिक्री का आधार होगा।

23. सभी न्यायालयों में अपनाई गई प्रथा और न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर, तर्कसंगत निर्णय की अवधारणा . कानून के बुनियादी शासन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है और वास्तव में, प्रक्रियात्मक कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है। विचारों की स्पष्टता दृष्टि की स्पष्टता की ओर ले जाती है और उचित तर्क एक न्यायसंगत और निष्पक्ष निर्णय की नींव है। अलेक्जेंडर मशीनरी

(डडली) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, इस संबंध में उपयुक्त टिप्पणियां हैं कि "कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर है। कारण न्याय के प्रशासन के लिए वास्तविक लाइव लिंक हैं। सम्मान के साथ हम इस दृष्टिकोण में योगदान देंगे एक तर्कसंगत निर्णय के पीछे एक तर्क, तर्क और उद्देश्य है। एक तर्कसंगत निर्णय मुख्य रूप से अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए लिखा गया है; निर्णय के कारणों के बारे में संबंधित को सूचित करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे कारणों पर अपीलीय/उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार किया जा सकता है। इस प्रकार कारणों की अनुपस्थिति ऊपर बताए गए उद्देश्य को निराश कर देगी। वर्तमान मामले में आदेश उतना ही गूढ़ है जितना कि सुनील कुमार सिंह नेगी (सुप्रा) के मामले में था। एक गूढ़ आदेश होने के नाते और इस अदालत द्वारा उस मामले में दर्ज किए गए कारणों के लिए, जिसे हम भी अपनाते हैं, वर्तमान अपील में आक्षेपित आदेश का भी वही हश्र होना चाहिए।

5. इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करते हैं और मामले को कानून के अनुसार निपटाने के निर्देश के साथ विद्वान एकल न्यायाधीश को सौंप देते हैं। तथापि, हमने दिनांक 14 जुलाई, 1987 और 30 जनवरी के आदेशों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। 1990, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया था। इस फैसले को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाएगा। तदनुसार, 1991 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17038 को 26 जुलाई, 2010 को नियमित रोस्टर में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लागू आदेश वर्ष 1987 और 1990 से संबंधित हैं और रिट याचिका वर्ष 1991 में दायर की गई थी, हम विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे पक्षकारों के वकीलों द्वारा पहली उपस्थिति की तारीख से तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा न करें।.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा ।